तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेमसिंह जोधा बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर)** सू.अ. अपील संख्या 36 / 2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24 / 09 / 2024	अपीलार्थी खेमसिंह जोधा निवासी ग्राम पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2024 में प्रमुख शासन सचिव के पत्र क्रमांक प. 5(1) / प्रसु / अनु–7 / 2019 जयपुर दिनांक 03.01.2024 की पालना में वर्ष 2023–24 में राजकीय अधिकारियो / कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद, तहसील पीपाड़ के अधीन पटवार मण्डलों में किये गये पटवारियों के स्थानांतरण की प्रमाणित सूचि मय आदेश सहित उपलब्ध कराने एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर ग्रामीण) ने जरिये पत्रांक 366 दिनांक 27.08.2024 से बतलाया कि प्रार्थी को पत्रांक 159 दिनांक 06.03.2024 द्वारा बिन्दुवार सूचना निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर ग्रामीण	